



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : शिवलर परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1 खाता संख्या : 01014				
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 5-1 / कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)				
प्राचीनपरती / /	23 30क 31 67क 68 773क 1382 1414 1940 1950 1954 1121	0.0690 0.5690 0.1450 0.2230 0.0380 0.1360 0.0250 0.0380 0.0380 0.0760 0.0190 0.1640	आदेश रा.नि.मोहनलालगंज द्वारा उ.प्र.रा.संहिता 2006 की धारा 38(6) के अन्तर्गत स्वीकृति दि.31.5.18 ग्राम शिवलर की खतौनी वर्ष 1425-1430फ.की गाटा स.23/0.069हे. के स्थान पर 23/0.082हे. शुद्ध दर्ज हो। ह.र.का./1.6.18 आदेश उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा स्वीकृत दिनांक 12.6.18 द्वारा श्रीमान न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र.) लखनऊ के वाद स.417/04-05 धारा 194(4) में पारित आदेश के अनुपालन में भूमि प्रबन्धक समिति शिवलर द्वारा विजय पुत्र डलई नि.शिवलर के नाम गाटा स.30क/0.590हे. में से 0.468हे. मा.गु.22.50कृषि पट्टा दर्ज हो। ह.र.का./5.10.18 आदेश कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ पत्र सं.322/डी एल आर सी/पुर्न./2017-18 आदेश दि.22.11.18 अधिसूचना सं.258/रा.-1-16(1)73 दि.5.3.1974 शासनादेश सं.258/16(1)-1973-रा.1 दिनांक 16.6.81 व शासनादेश सं.258/16(1)/73-रा.-1 दि.9.5.84 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ.प्र.रा.सं.2006 (उ.प्र.अधि.सं.8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ.प्र.रा.सं.नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 3/6/2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए में उपरोक्त दि.1.7.1952 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेते हुए ग्राम शिवलर की गाटा सं.23/0.0714हे.,157/0.0750हे. नवीन परती,प्राचीन परती से खारिज करते हुए औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र.शासन के निवर्तन पर रखते हुए "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना" के निर्माण हेतु उ.प्र.एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को राज्य सरकार का वाणिज्यिक विभाग मानते हुए उक्त शासनादेश के क्रम में सशुल्क पुनर्ग्रहीत किया जा रहा	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा गोसाईगंज के पत्र दि.17.8.2020 खाता सं.656, 1014 के खातेदार विजय पुत्र श्री डलई नि.ग्राम के हिस्से की भूमि बन्धक की जाती है। ह.र.का./21.8.2020
कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.				

			है।ह.र.का./11.12.18 आदेश कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ पत्र सं.322/डी.एल.आर.सी./पुर्न/2017-18 अधिसूचना सं.258/रा.1-16 1 73 दि.5.3.1974 शासनादेश सं.258/16 (1) 1973 रा.1 दि.16.06.81 व शासनादेश सं.258/16(1)/73 रा.1 दि.09.05.84 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 उ.प्र.अधिनियम सं.8 सन 2012 की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड ग तथा उ.प्र.राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं.741/एक 1-2016 20(5) 2016 दि.3.6.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै कौशलराज शर्मा जिलाधिकारी लखनऊ सलंगन अनुसूची मे उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दि.1.7.1952 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 मे उल्लिखित ग्राम पंचायतो/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी,फिर से अपने अधिकार मे लेते हुए ग्राम शिवलर गाटा सं.23/0.0714हे.157/0.0750हे.नवीन परती,प्राचीन परती खारिज करके औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र.शासन के निवर्तन पर रखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु उ.प्र.एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा राज्य सरकार का वाणिज्यिक विभाग मानते हुए उक्त शासनादेश के क्रम में क्रम मे सशुल्क पुर्नगृहीत किया जा रहा है। ह.र.का./24.12.18 आदेश कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ पत्र सं.342 (1) डी.एल.आर.सी./पुर्न.2017-18 दि.21.12.18 दि.1.12.18 द्वारा ग्राम शिवलर पर.व तह.मो.गंज की ग्राम समाज की भूमि का पुर्नगृहण उ.प्र.एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)के पक्ष मे किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।उक्त आदेश की अनुसूची के कॉलम 6 व 7 में त्रुटिवश गाटा सं.23 क्षेत्र.फ.0.069हे.दर्ज होने से छूट गया है जबकि कुल क्षेत्र.फ.0.5298हे.में उक्त रकबे के क्षेत्र.फ.को सम्मिलित किया गया है।अतः उक्त आदेश दि.1.12.18 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की अनुसूची के कॉलम 6 में गाटा सं.1768मि.गाटा सं.1475 के साथ गाटा सं.23 एवं कॉलम 7 क्षेत्र.फ.कॉलम मे रकबा क्रमशः0.4208हे.0.0400हे.के साथ रकबा 0.069हे.सम्मिलित करते हुए संशोधित आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।अतः उक्त छूटे हुए गाटा सं.23 रकबा 0.069हे.को सम्मिलित करते हुए ग्राम शिवलर गाटा सं.1768मि./0.4208 1475/0.0400 23/0.069 बंजर,ऊसर,प्राचीन परती खारिज करके औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र.शासन के निवर्तन पर रखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु उ.प्र.एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा को राज्य सरकार का वाणिज्यिक विभाग मानते हुए उक्त शासनादेश के क्रम मे सशुल्क
--	--	--	--

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



			पुर्नगहीत किया जा रहा है।ह.र.का./16.1.19 आदेश कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ पत्र सं.245/डी एल आर सी/ पुर्न./2019 दिनांक 4 मई 2019 अधिसूचना सं.258/रा.-1-16(1)73 दि.5.3.1974 शासनादेश सं.258/16(1)-1973-रा.1 दिनांक 16.6.81 व शासनादेश सं.258/16(1)/73-रा.-1 दि.9.5.84 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ.प्र.रा.सं.2006 (उ.प्र.अधिनियम सं.8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ.प्र.राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 3.6.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं जिलाधिकारी लखनऊ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दि.1.7.1952 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतो/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेते हुए ग्राम शिवलर की गाटा स.1422 क्षे. 0.0570हे., गाटा स.1388मि. क्षे.0.228हे., गाटा स.1401 क्षे. 0.063हे., गाटा स.1419 क्षे. 0.089हे. बंजर व गाटा स.1409 क्षे. 0.0158हे. ऊसर व गाटा स.1414 क्षे. 0.038हे. प्रा.परती कुल 6 किता रकबा 0.4908हे. को औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र.शासन के निर्वर्तन पर रखते हुए "पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना" के निर्माण हेतु उ.प्र.एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को राज्य सरकार का वाणिज्यिक विभाग मानते हुए उक्त शासनादेश के क्रम में सशुल्क पुर्नगहीत किया जा रहा है।ह.र.का./6.6.19 आदेश तह.मोहनलालगंज वाद स.टी-201910460313248/2.12.19 खाता स.1014 गाटा स.23/0.082हे. में से रकबा 0.069हे. से प्रथम विक्रेता औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र.शासन को निर्वर्तन पर रखते हुये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी.डा. व द्वितीय विक्रेता श्रीमती सीमा देवी पत्नी सुनील कुमार नि.ग्राम चमरतलिया का नाम खारिज करके क्रेता हलवासिया एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय स्थित प्रथम तल हलवासिया कोर्ट हजरतगंज लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विनय कुमार दुबे पुत्र स्व. सीताराम दुबे का नाम जरिये शुद्धि पत्र/ तिथिमा दिनांक 2.4.19 व विक्रय पत्र दिनांक 19.6.19 अंकित हो। ह.र.का./3.12.19 आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ वाद सं.टी 202010460301181/5.3.2020 हलवासिया एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 80 उ.प्र.रा.सं.2006 ग्राम शिवलर	
--	--	--	--	--

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



			परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ की खतौनी 1425-1430 फ0 की भूमि खाता संख्या 1014 की गाटा संख्या 23/0.069हे0 स्थित ग्राम-शिवलर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। ह.र.का./18.3.2020	
योग	12	1.5400		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें



Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.